हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26	पत्रावली पेश हुई। वकुलायन फरीकेन उपस्थित। अभिभाषक वादीगण उपस्थित। अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 03 उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण को तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर द्वारा प्राप्त खाता विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा पर सुना गया। अभिभाषक वादीगण द्वारा विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी किए जाने का निवेदन किया गया तथा अभिभाषक वादीगण द्वारा निर्धारित राशि का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण खाता विभाजन बाबत प्रस्तुत हुआ है जिसमें दिनांक 02.12.2025 को खाता विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गयी थी। प्राप्त खाता विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री अनुरूप है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर खाता विभाजन की अंतिम डिक्री दी जानी मंजूर की जाती है। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करें जिससे उनके खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ें। तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर को आदेशित किया जाता है कि पक्षकारान के मध्य खाता विभाजन किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल–दरामद किया जावे। संलग्न नक्शा, निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय व डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर को प्रेषित की जावे। निर्णय आज दिनांक 22/01/26 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर बीकानेर शहर	